

बिहार सरकार  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

नगर आयुक्त,  
सभी नगर निगम,  
कार्यपालक पदाधिकारी,  
सभी नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

पटना, दिनांक- 23/11/20

विषय:- नगर निकायों में गठित Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter प्रकाशित किये जाने के संबंध में।


महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक के संबंध में कहना है कि पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण एवं पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014 के धारा 26 (1) के अनुपालन में नगर निकायों में गठित Town Vending Committee द्वारा Street Vendor Charter तैयार कर प्रकाशित किया जाना है। चार्टर में मुख्यतः निकायों में वर्णित अधिनियम के तहत सर्वेक्षित फुटपाथ विक्रेताओं के पंजीकरण, पहचान पत्र एवं विक्रय प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने तथा इस हेतु शुल्क आदि के प्रावधान के संबंध में तय समय सीमा का उल्लेख किया जाना है।

अतः Street Vendor Charter का प्रारूप संलग्न करते हुए अनुरोध है कि इसे अपने निकाय स्तर से अविलम्ब प्रकाशन कराने की कृपा की जाय।

आपका कर्तव्य।

विश्वासभाजन,

  
परियोजना पदाधिकारी-सह-अपर निदेशक,  
नगर विकास एवं आवास विभाग।

## फुटपाथ विक्रेता चार्टर

पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम 2014, की धारा 26 के अंतर्गत नगर विक्रय समिति, ~~किशनगंज~~ नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत द्वारा पथ विक्रेता से संबन्धित क्रियाकलापों को विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर किए जाने हैं।

क्रम सं.	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजीकरण	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. परिवार का फोटो</li> <li>2. फुटपाथ विक्रेता का फोटो</li> <li>3. आधार कार्ड की प्रतिलिपि</li> <li>4. मोबाइल App के द्वारा GIS आधारित सर्वेक्षण</li> </ol>	निशुल्क	7 दिन	सामुदायिक संगठक / नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
2.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया	नगर मिशन प्रबन्धक	नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

  
 Executive Officer  
 Municipal Council, Kishanganj

क्रम. सं.	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
				जाना है।		
3.	विक्रय प्रमाण पत्र का जारी करने हेतु	1. SULM वैबसाइट पर सर्वेक्षण की उपलब्ध विवरणी	निशुल्क	सर्वेक्षण में चिन्हित फुटपाथ विक्रेताओं को सर्वेक्षण की तिथि से छः महीने की अधिकतम अवधि के भीतर निर्गत किया जाना है।	नगर मिशन प्रबन्धक	नगरआयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी
4.	प्रत्येक पाँच वर्षों पर फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय पहचान/प्रमाण पत्र नवीकरण हेतु	1. पुराना निर्गत फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र एवं नवीनतम सर्वे द्वारा किए गए पंजीकरण के आधार पर	विक्रय प्रमाण पत्र का नवीकरण हेतु- 500/रु.	दो महीने के अंदर	नगर मिशन प्रबन्धक	नगरआयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

2  
*Executive Officer*  
Municipal Council, Kishanganj

क्रम सं.	सेवाएँ	अपेक्षित दस्तावेज़ (प्रतिलिपि)	फीस	समयावधि	अधिकृत अधिकारी	अधिकृत अधिकारी जो सेवा में विलंब या गड़बड़ी हेतु संपर्क किये जा सके
5.	फुटपाथ विक्रेता के पहचान पत्र अथवा विक्रय प्रमाण पत्र duplicate निर्गत करने हेतु	1. नगर निकाय कार्यालय में उपलब्ध डाटा/दस्तावेज़ के आधार पर	50/रु.	7 दिन	नगर मिशन प्रबन्धक	नगरआयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी या अधिकृत अधिकारी

अध्यक्ष,  
नगर विक्रय समिति,  
क़िशंगंज नगर निगम/नगर परिषद/ नगर पंचायत ।

*Executive Officer*  
Municipal Council, Kishanganj

*done.*

*L*